न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 44/22 दायरा दिनांक 24.11.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. बृजमोहन पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. अशोक पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. टुण्डो वेवा जगन्नाथ जाति लुहार निवासी कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान **(नाम डिलीट दिनांक 02.05.2024)**
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र – अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक– 02.05.2024

उपस्थित– श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट – प्रार्थीगण की ओर से
श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी खसरा संख्या 310 रकबा 8.12 बीघा ग्राम कस्वानोनेरा तहसील शाहावाद पर आने–जाने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता आराजी खसरा संख्या 294 रकबा 5.01 बीघा किस्म गै. मु. नाला में से होकर अप्रार्थीगण की खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 3.13 बीघा की पूर्वी मेढ के सहारे दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी कम 4 की मृत्यु हो जाने से दिनांक 11.12.2023 को नाम डिलीट करने का प्रार्थनापत्र पेश हुआ। मृत अप्रार्थी कम 4 के वैध वारिसान अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 आलरेडी प्रार्थनापत्र में पक्षकार हैं, अतः अप्रार्थी कम 4 का नाम प्रार्थनापत्र से डिलीट किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाव पेश नहीं क[illegible] वहस सुने जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:06:18 IST
Reason: SelfAttested

02.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

दोनो पक्ष के अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन रहा है कि उन्हे अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 310 रकबा 8.12 बीघा पर आने जाने के लिये आराजी खसरा संख्या 294 रकबा 5.01 बीघा गै. मु. नाले की भूमि में होकर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 314 रकबा 3.13 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे 15 फिट चौडा रास्ता दिया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का आक्षेप है कि प्रार्थीगण ने ग्राम कस्वानोनेरा स्थित अपनी खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 310 पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 294 गै. मु. नाला में होकर अप्रार्थीगण की खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 314 में से पूर्वी मेढ के सहारे 15 फिट चौडा रास्ता चाहा है, जो कानूनन दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 314 तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता नहीं है और गै. मु. नाले की भूमि में से कोई रास्ता नहीं दिया जा सकता। उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 310 पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 314 में से रास्ता चाहा है, इसके लिये प्रार्थीगण को खसरा संख्या 314 तक पहुंचने का मार्ग होना साबित करना होगा। प्रार्थीगण का कथन है खसरा संख्या 294 गै. मु. नाले से होकर आते जाते हैं और उसी में से रास्ता प्रदान किया जावे। खसरा संख्या 294 रकबा 5.01 बीघा गैर मुमकिन नाला है, जिसमें से होकर कानूनन रास्ता दिया जाना विधि विरूद्व है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान के महत्वपूर्ण निर्णय से भी बाधित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्व होने से न्यायहित में अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/05/2024

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:06:18 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner